

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद

संख्या.....44.....

वर्ष 2023.....

विविधवाद / प्रथम अपील



DISPOSED

बनाम

अपीलकर्ता श्रीमति सरिता देवी
गृष्ण पंचायत - कोपे, प्र०- मनिका
जिला- पातेहर

प्रतिवादी जिला आष्टर्ति पदाधिकारी,
पातेहर।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि २७.०७.२०२३	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	<p style="text-align: center;"><u>झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग</u> <u>कैम्प कार्यालय, लातेहार</u> <u>वाद सं०-५४ / २०२३</u></p> <p>आज दिनांक-27.07.2023 को लातेहार परिसदन भवन में आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई के दौरान नरेगा सहायता केन्द्र, मनिका के माध्यम से परिवाद पत्रों की सूची एवं उनकी प्रति आयोग को उपलब्ध कराई गई। उपलब्ध कराए गये सूची में आयोग को व्हाट्सएप्प के माध्यम से पूर्व प्रेषित परिवाद पत्रों का उल्लेख है। सूची में क्रमांक-10 पर अंकित शिकायतकर्ता श्रीमती सरिता देवी, ग्राम+पंचायत-कोपे, प्रखण्ड-मनिका, जिला-लातेहार ने आयोग को लिखित शिकायत की है कि उन्हें मार्च, अप्रैल एवं मई, 2022 का राशन नहीं मिला है। मामले में आयोग द्वारा पत्रांक-WA/146/2022 दिनांक-11.07.2023 के माध्यम से अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, लातेहार को कार्रवाई करते हुए, कृत कार्रवाई से 15 दिनों के अन्दर आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया था, परन्तु आयोग के निर्देश का अनुपालन अब तक नहीं हुआ।</p> <p>गौरतलब है कि शिकायतकर्ता का हरा राशन कार्ड है। हरा राशन कार्ड का राशन नियमित तौर पर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। आयोग द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को निर्देश दिया गया कि इस मामले की जाँच करें कि शिकायतकर्ता जिस अवधि का उल्लेख कर रही हैं, यदि आवंटन आया है, तो शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।</p> <p>इस निर्देश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  (शब्दनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। </div> <div style="text-align: center;">  (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। </div> </div>	